

//1//

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :- देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :- 156/2016

उनवान

1. सुवा सिंह पुत्र माधु जाति रावत
2. सायरी पुत्री माधु जाति रावत नि० ग्राम भवानीखेडा, नसीराबाद
— वादी :- जरिये अधिवक्ता श्री धमेन्द्र जैन

बनाम

1. उगम सिंह पुत्र लादू मृतक जरिये वारिस
- 1/1. झमकू पत्नी उगम सिंह
- 1/2. हरचन्द पुत्र उगम सिंह
- 1/3. भागू सिंह पुत्र उगम सिंह
- 1/4. राधू सिंह पुत्र उगम सिंह
- 1/5. रमेश सिंह पुत्र उगम सिंह
- 1/6. शेर सिंह पुत्र उगम सिंह
- 1/7. सोहन सिंह पुत्र उगम सिंह
2. आपू पत्नी हरकरण
3. ओमप्रकाश पुत्र हरकरण,
4. सेठा पुत्री हरकरण,
5. माया पुत्री हरकरण, समस्त जाति रावत नि० भवानीखेडा, नसीराबाद
6. सुगनी पुत्री लादू जाति रावत नि० मशिनिया, पीसांगन
7. नौसर पुत्री लादू पत्नी बज्जा जाति रावत नि० जाटिया, अजमेर,
8. मंगल सिंह पुत्र उगमी, जाति रावत नि० दौलतपुरा, मसूदा
9. गांधी पुत्री उगमी, जाति रावत नि० जाटिया, अजमेर
10. होनी देवी पुत्री लादू जाति रावत नि० गोवलिया, भिनाय
11. राज० सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद
— प्रतिवादीगण :- 1 से 10 अनुपस्थित
11 जरिये राज० पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू
राज० अधि० 1956

— निर्णय :-

दिनांक :- 15/11/24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भवानीखेडा के
चौसाला खसरा नम्बर 933 रकबा 1-13-0, वर्किंग खसरा नम्बर 1211/0-14-0,
1213/0-15-0 हाल खसरा नम्बर 1472/0.11 व 1797/0.12 की आराजी वादीगण व



—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रतिवादीगण के पूर्वज रामा पुत्र हीरा की विरासत से प्राप्त हुयी। उक्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के पूर्वज रामा पुत्र हीरा व इनके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के पूर्वज लादू रिकाडेर्ड खातेदार दर्ज होकर मौके पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 10 अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। रामा पुत्र हीरा की मृत्यु दिनांक 03.07.1966 को हो गयी है किन्तु उसकी विरासत दर्ज करते समय प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के पूर्वज लादू का नाम ही दर्ज किया गया वादीगण के पिता माधु का नाम दर्ज नहीं किया गया। अतः आराजी मुताजा के हाल इन्द्राज को दुरुस्त करते हुये वादीगण को भी खातेदार दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वाद विचारण के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु होने के कारण उसके वारिस रेकार्ड पर लिये गये। प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के विरुद्ध विधिवत रूप से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादीगण अपना वाद स्वयं सिद्ध करे।

वाद पत्र का कोई खण्डन पेश नहीं होने के कारण तनकियात कायम नहीं की गयी :- अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में विक्रय पत्र, राजस्व अभिलेख पेश किये व वादी सुवा सिंह के बयान दर्ज करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। चौसाला खसरा नम्बर 933 रकबा 1-18-0 जमाबंदी सम्वत् 2023-26 में रामा पुत्र हीरा व अन्य कई खातेदारों की सह खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के साथ चौसाला के अन्य खसरा नम्बर भी रामा पुत्र हीरा व अन्य व्यक्तियों की सह खातेदारी में अंकित है। बंकिंग जमाबंदी में बंकिंग खसरा नम्बर 1211 व 1213 अन्य व्यक्तियों के नाम खातेदारी दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 1472/0.11 व 1797/0.12 भी अन्य व्यक्तियों के नाम खातेदारी दर्ज है। वादीगण का कथन है कि वे रामा पुत्र हीरा के पुत्र माधु के वारिस है किन्तु राजस्व अभिलेख में उनका नाम दर्ज नहीं किया अतः आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण है। चौसाला जमाबंदी में भूमि कई खातेदार के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। वादीगण चौसाला जमाबंदी अनुसार हाल राजस्व अभिलेख में परिवर्तन चाहते है। किन्तु चौसाला जमाबंदी में दर्ज सभी खातेदार/वारिस को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। वादीगण द्वारा रामा पुत्र हीरा व उसके वारिस लादू व माधु का शजरा भी पेश नहीं किया है। चौसाला जमाबंदी अनुसार वादी व प्रतिवादी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति भी उक्त आराजी पर हितबद्ध है किन्तु उन व्यक्तियों/वारिसों को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। चौसाला जमाबंदी में रामा पुत्र हीरा के नाम आराजी मुतनाजा के अतिरिक्त अन्य कई खसरा नम्बर भी दर्ज है। वादीगण द्वारा उन साबिक खसरा नम्बर की स्थिति स्पष्ट नहीं की है। उक्तानुसार स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा अपने वाद में पूर्व व हाल खातेदार की स्थिति स्पष्ट नहीं की है।

उक्तानुसार ग्राम भवानीखेडा के हाल खसरा नम्बर 1472 रकबा 0.11 व 1797 रकबा 0.12 की आराजी पर वादीगण का वाद "खारिज" किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

